

राजकीय-संस्कृत-महाविद्यालयः सुन्दरनगरम्



विवरणिका

२०२०-२०२१



ॐ

भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यम्
भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्



☎ 01907-262510

✉ gscsundernagarhp@gmail.com

🌐 www.gscsundernagar.org



सरस्वती – स्तवनम्

या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता,
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना ।
या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता,
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा ॥



शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीं,
वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम् ।
हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां,
वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् ॥



या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी,
या पञ्चप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी।
या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषु प्रीता जगत्साक्षिणी,
सा पायात्सरदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी॥



केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वलाः,
न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजाः ॥
वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते,
क्षीयन्तेऽखिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम् ॥



उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत।
क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥



ॐ सह नाववतु, सह नौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै ।
तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै ॥

ॐ शान्तिः! शान्तिः!! शान्तिः!!!

“विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मा शेवधिष्टेऽहमस्मि,
असूयकायानृजवेऽयताय न मा ब्रूया वीर्यवती तथा स्याम्”

राजकीय – संस्कृत – महाविद्यालयः सुन्दरनगरम् (हि.प्र.)

विवरणिका

सत्रम्

२०२०–२०२१



PROSPECTUS



2020-2021

Govt. Sanskrit College, Sunder Nagar (H.P.)-175019

Phone : 01907-262510

E-mail : gscsundernagarhp@gmail.com | Website : www.gscsundernagar.org



प्राचार्या – संदेश

वैदिक ज्ञान-विज्ञान की अनन्त शब्दार्थ-राशि का निरन्तर प्रचार-प्रसार करने में निरत यह महाविद्यालय, प्रदेश के प्राचीनतम महाविद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षण संस्थानों में अग्रगण्य भूमिका का निर्वहन, समसामयिक परिप्रेक्ष्य की सफल आकांक्षापूर्ति करते हुये कर रहा है। छोटी काशी नाम से प्रथित मण्डी एवं शुकदेव मुनि की पावन तपस्थली सुन्दरनगर की वास्तविक एवं अनन्त यात्रा में, यहाँ के अप्रतिम प्रतिभा सम्पन्न विद्वानों ने सदैव शास्त्र-निर्दिष्ट, आदर्श एवं सत्य-निष्ठ मार्गनिर्देशन प्रस्तुत करते हुये भगवान् शिव एवं माता पार्वती के इस क्षेत्र को अद्यतन स्वरूप में पुष्पित एवं पल्लवित करके अध्ययन-अध्यापन एवं अनुसन्धान का आशातीत परिणाम प्रस्तुत किया है। विद्वत्ता एवं प्रायोगिकता की पराकाष्ठा को प्राप्त इस महाविद्यालय की आचार्या एवं प्राचार्या होने के सम्बन्ध विशेष के फलस्वरूप, मैं इस महाविद्यालय की वर्तमानकालापेक्षी उन्नति एवं समृद्धि हेतु आधिकारिक रूप में यथासम्भव मार्गनिर्देशन, प्रेरणा-सम्प्रदान तथा परमपिता परमेश्वर के समक्ष हार्दिक मंगल कामना की स्फुटाभिव्यक्ति रूप सुरभारती का आश्रय ग्रहण करती हूँ।

प्रो. प्रौमिल

आचार्यवर्गः

क. व्याकरणविभागः

1. रिक्तपदम्



ख. साहित्यविभागः

1. विद्यावारिधि: खुशवन्तसिंहः

सहायकाचार्यः (Assitt. Prof.)

दूरभाषः +91-94594-40033,

+91-70183-29099

E-mail : khushwant082@gmail.com

साहित्याचार्यः, नैट, बी. ऐड्., पी. ऐच्. डी.

Qualified Dept. Exam.

2. विद्यावारिधि: मनजीतकुमारः

सहायकाचार्यः (Assitt. Prof.)

दूरभाषः +91-98160-18091

+91-98059-24334

E-mail : manjeetsharmaa05@gmail.com

साहित्याचार्यः, नैट, ऐम्. ए. संस्कृतम्, नैट,

जे. आर्. ऐफ्., पी. ऐच्. डी.



ग. दर्शनविभागः

1. डॉ. तिलकराज

सहायकाचार्यः (Assitt. Prof.)

दूरभाषः +91-98173-31596

E-mail : tilak084@gmail.com

दर्शनाचार्यः, ऐम्. ए. संस्कृतम्, नैट, बी. ऐड्., पी. ऐच्. डी.



घ. वेदविभागः

1. विद्यावारिधि: ऋतेशशर्मा

सहायकाचार्यः (Assitt. Prof.)

दूरभाषः +91-82198-39474

+91-97367-20886

E-mail : riteshahveda@gmail.com

वेदाचार्यः

Qualified Dept. Exam.

ड. ज्योतिषविभागः

1. आचार्यज्ञानेश्वरशर्मा

सहायकाचार्यः (Assitt. Prof.)

दूरभाषः +91-94590-23006

+91-78278-73474

E-mail : gyaneshwersharma0@gmail.com

ज्योतिषाचार्यः, नैट, शिक्षाशास्त्री (बी. ऐड.),

शिक्षाचार्यः (ऐम्. ऐड.)



च. धर्मशास्त्रविभागः

1. रिक्तपदम्



छ. अंग्रेजीविभागः

1. प्रो. प्रौमिल

सहाचार्यः (Assoc. Prof.)

दूरभाषः +91-94184-54381

+91-85806-01096

ऐम्. ए. अंग्रेजी, ऐम्. फिल्., नैट, बी. ऐड.



ज. हिन्दीविभागः

1. रिक्तपदम्



कार्यालय कर्मिष्ठ वर्ग

1. श्री दिनेश शर्मा

2. श्री आत्मा राम

3. श्रीमती माया देवी

4. श्रीमती कान्ता देवी

5. श्रीमती गुन्थी देवी

6. श्रीमती शकुंतला देवी

कार्यालय अधीक्षक रोड - II

लिपिकः

सेवादार

सेवादार

सेवादार

सेवादार

“नत्वा सरस्वतीं देवीं ज्ञानरूपां सरस्वतीम् ।
सादरमभिनन्द्येऽहं गुरुन् तत्त्वगुणान्वितान् ॥”

महाविद्यालय का संक्षिप्त इतिहास

‘संस्कृति: संस्कृताश्रिता’ के शाश्वत् सिद्धान्त को समर्पित माँ भगवती त्रिपुर सुन्दरी तथा नृसिंह देव के दिव्यधाम सुन्दरनगर (पुराना बाजार) में अवस्थित संस्कृति तथा संस्कारयुक्त शिक्षा पद्धति को समर्पित “राजकीय संस्कृत महाविद्यालय – सुन्दरनगर” का यह संस्थान हिमाचल प्रदेश के ही नहीं अपितु भारतवर्ष के अग्रणी संस्कृत संस्थानों में अद्वितीय स्थान रखता है। यह महाविद्यालय तत्कालीन सुकेत – रियासत (सुन्दरनगर) के धर्मपरायण महाराजा लक्ष्मण सेन जी ने भारतीय संस्कृति के संरक्षण के भाव से 1923 ई० को माँ भगवती त्रिपुर सुन्दरी के पार्श्व में भगवान नृसिंह मन्दिर के परिसर में एक ‘लघु संस्कृत पाठशाला’ के नाम से स्थापित किया गया था। 1947 ई० से पूर्व यह संस्थान ‘पञ्जाब विश्वविद्यालय लाहौर’ के साथ सम्बद्ध रहा तथा 1947 से 1971 ई० तक ‘पञ्जाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़’ से सम्बद्ध होकर यहाँ प्राज्ञ, विशारद, शास्त्री तथा आचार्य की कक्षाएँ संचालित होती रहीं। 1971 ई० में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय – शिमला की स्थापना के पश्चात् इससे अनुमोदित (Affiliated) होकर इसकी परीक्षाओं का संचालन हो रहा है। यह महाविद्यालय देश की उन विशिष्ट संस्कृत संस्थाओं में प्रमुख स्थान रखता है जहाँ प्राच्य – परम्परा से संस्कृत के वैदिक/लौकिक/शास्त्रीय संस्कृत – साहित्य, व्याकरण, दर्शन, ज्योतिष तथा वेद आदि विषयों का अध्ययन करके छात्र दुर्लभ भारतीय वेद – ज्ञान को सुरक्षित रखने तथा भारतीय संस्कृति के संरक्षण का अति कठिन कार्य विषम परिस्थितियों में कर रहे हैं। वर्तमान में प्राचीन विषयों के साथ – साथ समयानुकूल अंग्रेजी/हिन्दी जैसी अन्य आधुनिक भाषाओं तथा राजनीति शास्त्र, इतिहास, कम्प्यूटर शिक्षा आदि का सायुज्य करके विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी, व्यावहारिक तथा समय सापेक्ष बनाया गया है ताकि हमारे छात्र समय के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ सकें।

महाविद्यालय की मुख्य विशेषताएँ

संस्कृतमय अध्ययन एवं अध्यापन : –

महाविद्यालय की सभी कक्षाओं में अध्ययन एवं अध्यापन (Learning & Teaching) का मुख्य माध्यम संस्कृत भाषा है। सभी छात्र – छात्राएँ एवं आचार्य परस्पर वार्तालाप के लिये मुख्य रूप से संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। परिसर (Campus) का वातावरण पूर्ण रूप से संस्कृतमय है। जिसके कारण यहाँ के छात्र बहुत ही सरलता से संस्कृत समझने, बोलने और लिखने में योग्य हो जाते हैं फलस्वरूप वार्षिक परीक्षा उनके लिये एक नये उत्साह को लेकर आती है न कि भय। अच्छे अंक प्राप्त करना इनके लिये बाएँ हाथ का खेल सा हो जाता है। यहाँ तक कि शीघ्र ही अपने जीवन में बड़े आनन्द से संस्कृत का प्रयोग करके तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार आजीविका प्राप्त करके समाज में विशेष आदर्श (Ideal) प्रस्तुत करते हैं। शिक्षा के स्तर की दृष्टि से चाहे कोई बहुत मेधावी हो या फिर सामान्य, यहाँ पहुँच जाने पर वह परिश्रम के सही माध्यमों से अवगत होकर अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को बहुत ही सहजता और सरलता के साथ प्राप्त कर लेता है।



परम्पराओं के साथ आधुनिकता का समावेश : –

भारत की ज्ञान – विज्ञानमयी वैदिक तथा पौराणिक परम्पराओं के संरक्षक शाश्वत शास्त्रों, विश्व की प्राचीनतम भाषा तथा सभी भाषाओं की जननी संस्कृत, हिमाचल प्रदेश की स्थानीय देव परम्पराओं तथा आधुनिक संस्कृत साहित्य का अध्ययन – अध्यापन, प्रचार – प्रसार, अनुसन्धान, संरक्षण तथा संवर्धन करने के साथ – साथ यह महाविद्यालय उनका आधुनिकीकरण करने में पूर्णतया कटिबद्ध है। इसके लिये महाविद्यालय परिसर में संगणक (Computer), अंग्रेजी तथा अन्य आधुनिक विषयों में छात्र – छात्राओं को निपुण बनाने के लिये समय – समय पर विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाता है। परिणामस्वरूप यहाँ के छात्र अपने सामाजिक, पारिवारिक तथा व्यक्तिगत जीवन में हर तरह से परिपूर्णता की भावना से ओत – प्रोत रहकर राष्ट्र निर्माण में अद्वितीय भूमिका अदा करते हैं।

संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी और कम्प्यूटर का अद्वितीय प्रयोग :-

छात्रों के व्यक्तित्व को निखारने के लिये महाविद्यालय प्रशासन निरन्तर रूप से हिन्दी, अंग्रेजी और कम्प्यूटर को दृष्टि में रख कर संस्कृत भाषा का अध्ययन- अध्यापन एवं अनुसन्धान इत्यादि गतिविधियों को आयोजित करता हुआ प्रगति के पथ पर अग्रसर है। संस्कृत के सफल अध्ययन हेतु हिन्दी, अंग्रेजी और कम्प्यूटर की, छात्रों के शैक्षणिक, व्यवसायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में आवश्यक, भूमिका का सैद्धान्तिक और प्रायोगिक परिचय प्रदान करके उनको आगामी शिक्षा की यात्रा के योग्य बनाना, इस महाविद्यालय की प्रायः एकशताब्दी (1923 से) प्राचीन एवं अटूट परम्परा है।



पूर्ण अनुशासन एवं वास्तविक स्वतन्त्रता :-

संस्कृत एवं शास्त्रों के पूर्ण रूप से अध्ययन के लिये महाविद्यालय परिसर में अनुशासन का होना अत्यावश्यक है, जिसके लिये महाविद्यालय अनुशासन समिति के द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य रहता है। इन सभी अनुशासन सम्बन्धी नियमों के भारतीय संविधान एवं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम पर आधारित होने के कारण इनकी महत्ता एवं प्रामाणिकता और अधिक विशेष हो जाती है। जैसे भारतीय संविधान, हमें वास्तविक स्वतन्त्रता के साथ-साथ पूर्ण अनुशासन को, अपने जीवन में लागू करने का निर्देश देता है ठीक उसी प्रकार से यह महाविद्यालय अपने छात्र-छात्राओं से वास्तविक स्वतन्त्रता के साथ पूर्ण अनुशासन की अपेक्षा रखता है। जिसके परिणाम स्वरूप नवप्रविष्ट छात्र-छात्रायें महाविद्यालय परिसर में संस्कृतमय, शास्त्रानुकूल, वैदिक एवं भारतीय संस्कृति से परिपूर्ण एवं समानता समर्थित वातावरण का एक अद्वितीय एवं अविस्मरणीय अनुभव प्राप्त करके व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति में अहम भूमिका अदा करने के लिये अपने आप को तरुणावस्था में ही तैयार कर लेते हैं।

पूर्ण कक्षा - अध्ययन एवं विभिन्न कार्यक्रम:-

प्रशासन, शास्त्र-अध्ययन-अध्यापन के क्रम में, छात्रों के लिये जहाँ पूर्ण कक्षा-अध्ययन में विश्वास रखता है वहीं उनके अध्ययन को एक विशेष रूप देने तथा व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से निखारने के लिये अध्ययन सम्बन्धी विभिन्न प्रकार के अतिरिक्त कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है। यहाँ पर पूर्ण कक्षा-अध्ययन से हमारा अभिप्राय सम्पूर्ण वर्ष के 366 दिनों में से 180 दिन एक घण्टे की दर से कुल 180 घण्टे आचार्य के सम्मुख सम्बन्धित विषय के निरन्तर अध्ययन से है। आचार्यों के द्वारा कक्षा-अध्ययन के माध्यम से छात्रों के शास्त्रीय विकास को अग्रसर तथा परीक्षा सम्बन्धी भय को दूर करने के लिये हर सम्भव प्रयास किया जाता है।



श्लोक निर्माण तथा उच्चारण :-

प्रतिस्पर्धा तथा तीव्रता से परिपूर्ण आज के वैज्ञानिक युग में जहाँ एक छात्र का आधुनिक होना आवश्यक है, वहीं उसका अपने शास्त्रों में भरपूर योग्य होना आधुनिकता की स्थिरता तथा छात्र के भविष्य की दृष्टि से अपरिहार्य है। अतः हमारा छात्र इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कमी का अनुभव ना करे अपितु सर्वोत्कृष्ट छात्र की भूमिका को निभाए, इसके लिये महाविद्यालय की ओर से छात्रों के लिये पाठ्यक्रम के अतिरिक्त श्लोक निर्माण तथा उच्चारण के प्रशिक्षण की सुविधा जारी की है। जिसका लाभ उठाकर छात्र अतिरिक्त योग्यता अर्जित करके अपने भविष्य को और अधिक सुसज्जित कर सकते हैं।

वेदाध्ययन तथा कर्मकाण्ड:-

वेद तथा कर्मकाण्ड हमारी जीवन पद्धति के अभिन्न अंग है, यदि यह कह दें कि हमारे जन्म, जीवन तथा मृत्यु के बाद की गति का निर्धारण करने वाले वेद हैं तो अनुचित नहीं होगा। यहाँ तक कि भारत के विश्व गुरु होने तथा आज के समाज में भी अध्यात्म, जीवन-दर्शन, नव-दिशा-निर्धारण, नैतिक-शिक्षा, नव-कल्पना तथा शास्त्र-विज्ञान इत्यादि अनेकों विषयों में वैश्विक पटल पर सर्वश्रेष्ठ तथा मार्गनिर्देशक की भूमिका निभाने में वेद तथा कर्मकाण्ड आधुनिक भारतीय संस्कृति का रूप धारण करके अपनी अद्वितीयता



तथा अपरिहार्यता का परिचय दे रहे हैं और यह हमारे लिए बड़े ही गौरव की बात है। इस गौरव की अनुभूति हमारे छात्र वास्तविकता तथा श्रेष्ठता के साथ कर सकें, इस हेतु महाविद्यालय की ओर से छात्रों के लिए वेदाध्ययन तथा कर्मकाण्ड के वैज्ञानिक और शास्त्रीय प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है। जिसके फलस्वरूप यहाँ के छात्र विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, समाज के विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक केन्द्रों तथा अन्य संबन्धित संस्थानों में जाकर अपना एक विशिष्ट और अविस्मरणीय परिचय देकर स्वयं तो सम्मान के भागीदार बनते ही हैं अपितु महाविद्यालय तथा माता-पिता के यश और कीर्ति को भी बढ़ाते हैं।

ज्योतिर्विज्ञान तथा भविष्यफल: -

आज विज्ञान और अनुसन्धान के समुन्नत स्वरूप के अनुशीलन में केन्द्रित विश्व की बुद्धिजीवी प्रतिभा, भौतिकता के आधार पर विकास के संभवतम प्रयासों को प्रायोगिक स्वरूप देकर उसके प्रतिकूल परिणामों से व्यथित होती हुई अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत की ओर से वितरित होने वाले ज्ञान के प्रकाश को आशा की किरण के रूप में स्वीकार करके अपने आप को प्रगति की जिस दिशा में ले जाने के पूर्ण प्रयास कर रही है उसके खुले एवं अनन्त आसमान के नक्षत्रों तथा दिव्य लोकों का अत्यन्त सहजता के साथ साक्षात्कार करवाने वाला ज्योतिष शास्त्र, भारतीय जीवन पद्धति का अभिन्न अंग तथा वेद भगवान् का दिव्य नेत्र, पुरा काल से ही ऋषियों मुनियों तथा आचार्यों के स्वाध्याय एवं अध्ययन का विषय बनकर परम्पराओं के माध्यम से भारतीय समाज को यथासमय प्रबोधित कर रहा है। उसके संरक्षण, संवर्धन तथा अनुसन्धान का अद्वितीय अवसर प्राप्त होना आज के संस्कृतज्ञ के लिये बहुत ही सौभाग्य तथा धन्यता की बात है। सृजनात्मकता तथा प्रायोगिकता को मूर्त रूप देने के लिये लगधादि आचार्यों ने निरन्तर तथा तीव्र साधना के माध्यम से जिन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सिद्धान्त, होरा तथा संहिता इन तीन मूल आधारों की स्थापना की है, उनकी यथार्थ प्राप्ति छात्रों को उपलब्ध करवाने के लिये महाविद्यालय के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम जारी किये जाते हैं। जिनके माध्यम से यहाँ का छात्र निर्धारित समय सीमा में ज्योतिष शास्त्र के विभिन्न पक्षों से अवगत होकर समाज में आकाक्षित प्रतिशतता के अनुसार भविष्यफल के आंकलन तथा वर्णन हेतु अपने आप को तैयार कर लेता है। साथ ही शैक्षणिक दृष्टि से प्रगति की अभिलाषा रखने वाले स्नातकों के लिये महाविद्यालय विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के अनेक विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों में अग्रिम अध्ययन के स्वर्णिम अवसरों की समय-समय पर संरचना तथा योजनाएँ करने में सदैव तत्पर है। यहाँ तक कि अन्य संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों के अनेकों छात्र एवं अनुसन्धाता सम्बन्धित विषयों पर आचार्यों के मार्गनिर्देश प्राप्त करके अपने शास्त्र में विशेष समृद्धि प्राप्त करके कृतकृत्यता का अनुभव करते हैं। अनुसन्धान की अनेकों योजनाएँ छात्रों के स्तर के अनुसार समय-समय पर प्रायोजित की जाती हैं। जिससे लाभान्वित स्नातक अपने शास्त्रज्ञान के माध्यम से राष्ट्रनिर्माण के विभिन्न कार्यों में सहभागी होकर समाज तथा राष्ट्र के लिये कल्याणकारी तो सिद्ध होते ही हैं अपितु अपने कुल, परम्परा तथा क्षेत्र के यश और मान-सम्मान की वृद्धि भी करते हैं।



पूर्ण - सुरक्षित परिसर :-

महाविद्यालय को सुचारु रूप से संचालित करने तथा छात्र-छात्राओं की सुरक्षा की सुनिश्चितता के लिये प्रशासन ने Anti Ragging Committee का गठन किया है। जिसके दिशा-निर्देश में इस वर्ष से महाविद्यालय प्रशासन ने भारत सरकार के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के माध्यम से जारी Anti Ragging Web Portal में छात्रों के Online नामांकन हेतु विशेष व्यवस्थाएँ प्रकल्पित की हैं। जो कि महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं की सुरक्षा, अध्ययन तथा सामाजिक उन्नति के दृष्टिकोण से महाविद्यालय प्रशासन का बहुत आवश्यक पहलू है। इसके साथ ही Anti Ragging Committee के कार्यों तथा उद्देश्यों के सफल परिणामों की प्राप्ति के लिये महाविद्यालय परिसर में CCTV कैमरों की स्थापना भी की गयी है। जिससे छात्र-छात्राएँ महाविद्यालय परिसर में, और अधिक सुरक्षा का अनुभव कर सकेंगे तथा तनाव मुक्त अध्ययन की कल्पना को साकार करने में सफल होंगे।



अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रख्यात विद्वान् अनेक सुप्रतिष्ठित ग्रन्थों के रचयिता पं. सूरजमणि सुरी से लेकर पं. कन्हैया लाल जी, राष्ट्रपति पुरस्कृत पं. शालिग्राम शर्मा, आचार्य बी. के. पाण्डेय, आचार्य भगत राम, आचार्य रामानन्द, डॉ. केशवानन्द कौशल एवं आचार्या सोनम डोलमा पर्यन्त अनेकों प्रतिष्ठित विद्वान्/विदुषी इस संस्थान के प्राचार्य/आचार्य पदों को सुशोभित कर चुके हैं।

वर्तमान में उच्चतम शिक्षा प्राप्त, योग्य, अनुभवी तथा संस्कृत-संस्कृति को समर्पित आचार्यवृन्द इस संस्थान की प्रमुख विशेषता है। गुरुजनों के गौरव को द्योतित करते अनुशासनबद्ध, विनम्र, मेधावी/परिश्रमी छात्र-छात्राएँ इस महाविद्यालय की अमूल्य निधि हैं। अतः इस महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक छात्र से इसकी गौरवमयी परम्परा को बनाये रखने की अपेक्षा की जाती है।

प्रवेशार्थ आवश्यक योग्यता एवं मानक

प्राक्-शास्त्री प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम :-

प्राक्-शास्त्री प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये वे सभी विद्यार्थी पात्र होंगे, जिन्होंने मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इसके अतिरिक्त जिन विद्यार्थियों ने पूर्व-मध्यमा (द्वितीय-खण्ड) अथवा विद्या-अधिकारी की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, वे भी प्राक्-शास्त्री प्रथम वर्ष में प्रवेश के पात्र होंगे।

प्राक्-शास्त्री द्वितीय-वर्ष में प्रवेश के नियम :-

प्राक्-शास्त्री द्वितीय वर्ष में प्रवेश के लिये केवल मात्र, वे छात्र पात्र होंगे, जिन्होंने प्राक्-शास्त्री प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।

शास्त्री प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम :-

शास्त्री प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये वे सभी विद्यार्थी पात्र होंगे, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से प्राक्-शास्त्री (प्रथम वर्ष + द्वितीय वर्ष) की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो। इसके अतिरिक्त वे सभी विद्यार्थी भी शास्त्री में प्रवेश के पात्र होंगे, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के द्वारा स्वीकृत/मानित अन्य संस्थानों से प्राक् शास्त्री (प्रथम वर्ष + द्वितीय वर्ष) अथवा संस्कृत विषय सहित तत्समकक्ष परीक्षा अथवा संस्कृत विषय सहित + 2 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।

आयु सीमा :-

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पत्र संख्या 4-20/2015-एच.पी.यू (शै0) दिनांक 23 जून 2017 के अनुसार प्राक्-शास्त्री, शास्त्री, विशिष्ट-शास्त्री तथा आचार्य कक्षाओं में आयु सीमा के वे सभी नियम मान्य होंगे, जिनका उल्लेख हि.प्र. विश्वविद्यालय के अध्यादेश में अनुच्छेद 3.3 (ए) में किया गया है।

विशिष्ट-शास्त्री (B.A. Honours, Classics) :-

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अध्यादेश 2002, खण्ड-1 अनुच्छेद 8.70 तथा 8.71 के अनुसार विशिष्ट शास्त्री का अभिप्राय ऐसे पाठ्यक्रम से है, जिसमें विद्यार्थी विशिष्ट-शास्त्री की निर्धारित समयावधि में संस्कृत-पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त दो संस्कृत भिन्न पाठ्यक्रमों का भी अध्ययन करता है। इन दोनों संस्कृत-भिन्न पाठ्यक्रमों में से English का पाठ्यक्रम B.A. स्तर पर पढ़े जाने वाले पाठ्यक्रम के समान प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ना होगा। English के अतिरिक्त B.A. स्तर पर पढ़े जाने वाले एक अन्य Elective Additional विषय का चयन विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार कर सकता है। परन्तु यह Elective Additional विषय विशिष्ट शास्त्री में पढ़े जाने वाले संस्कृत के पाठ्यक्रम के विषय से भिन्न होना चाहिये।

अतिरिक्त अनिवार्य/संस्कृत भिन्न विषय (Non-Sanskrit Subjects) :-

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अधिनियम 8.70, 8.71 तथा 8.72 के अनुसार विशिष्ट शास्त्री के इच्छुक विद्यार्थी के लिये यह आवश्यक है कि वह प्रथम से षष्ठ पाण्मासिकी पर्यन्त अथवा तीनों वर्षों में दो संस्कृत-भिन्न विषयों का अध्ययन अतिरिक्त अनिवार्य/संस्कृत भिन्न विषयों के रूप में करेगा। इन दोनों विषयों की प्रतिष्ठायें (Credits) बी.ए. कक्षाओं में निर्धारित की हुई प्रतिष्ठायें (Credits) के समान होंगी। गत वर्षों की भान्ति यदि कोई विद्यार्थी अतिरिक्त अनिवार्य/संस्कृत भिन्न विषयों के बिना शास्त्री परीक्षा केवल संस्कृत-विषयों के साथ ही उत्तीर्ण करता है तो उसे केवल शास्त्री घोषित किया जायेगा। ऐसा विद्यार्थी M.A. की कक्षा में प्रवेश के लिये पात्र नहीं माना जायेगा।

प्रवेश संबन्धी नियमावली एवं अपेक्षित प्रमाणपत्र

1. महाविद्यालय समस्त कक्षाओं का प्रवेश online (www.gscsundernagar.org) के माध्यम से ही किया जायेगा।
2. आवेदक छात्र प्रवेश पत्र को भरने से पूर्व विवरणिका में दिये गये सम्पूर्ण निर्देशों एवं नियमों का पूर्णतया अध्ययन करें। प्रवेश-पत्र से संबन्धित किसी भी प्रकार का सन्देह होने पर उसके निराकरण के लिये महाविद्यालय की प्रवेश समिति एवं कार्यालय से सम्पर्क करें। अपूर्ण आवेदन-पत्र अथवा अस्पष्ट प्रमाण-पत्रों के आधार पर प्रवेश स्वीकार्य नहीं होगा।
3. विश्वविद्यालय/बोर्ड अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से उत्तीर्ण पूर्व परीक्षा के प्रमाण-पत्रों की स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्न करें।
4. चरित्र-प्रमाण-पत्र पूर्व संस्था के प्रधानाचार्य/प्राचार्य के द्वारा अथवा संस्था प्रमुख जहाँ अभ्यर्थी ने अध्ययन किया हो।
5. प्रव्रजन-प्रमाण-पत्र (School Leaving Certificate) पूर्व संस्था के प्रधानाचार्य के द्वारा अथवा संस्था प्रमुख जहाँ अभ्यर्थी ने अध्ययन किया हो।

6. विशेष वर्ग का प्रमाण-पत्र यदि प्रवेशार्थी SC/ST/OBC, दिव्यांगता से संबन्ध रखता हो।
7. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार महाविद्यालय के छात्र जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, दिव्यांगता, एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) से संबन्ध रखते हैं उनको अपने आधार कार्ड एवं बैंक खाते से संबन्धित दस्तावेज की प्रतिलिपि प्रवेश पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
8. सांस्कृतिक, क्रीड़ा, स्काउट्स एण्ड गाईडज़, राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC), राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) तथा राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने का प्रमाण-पत्र यदि हो तो संलग्न करें।
9. आवेदक अपने आवेदन-पत्र के साथ उपर्युक्त प्रमाण-पत्रों की स्वयं सत्यापित प्रतियाँ अवश्य लगायें एवं प्रवेश शुल्क जमा कराने से पूर्व महाविद्यालय की प्रवेश-समिति के द्वारा सम्पूर्ण आवेदन-पत्र की जाँच अनिवार्यतया करवायें। शिक्षण अवधि में यदि कोई प्रमाण-पत्र असत्य पाया जाता है तो छात्रा/छात्र का प्रवेश/नामांकन स्वयं निरस्त हो जायेगा और नियम संगत अन्य कार्यवाही की जा सकती है।
10. किसी भी छात्रा/छात्र के विरुद्ध अनुशासनहीनता, अमर्यादित आचरण, रैगिंग संबन्धित अपराध, दुर्व्यवहार आदि की शिकायत प्राप्त होने पर महाविद्यालय की अनुशासन समिति के द्वारा छात्रा/छात्र का पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है।

प्रवेश के समय देय शुल्क

(क) प्रवेश शुल्क	25 रु. वार्षिक
1. पुनः प्रवेश शुल्क (प्रथम बार)	100 रु. (नाम कटने पर)
पुनः प्रवेश शुल्क (द्वितीय बार)	200 रु. (नाम कटने पर)
2. प्रवेश विलम्ब शुल्क सहित (निश्चित तिथि के बाद)	10/- प्रति दिन (10 दिन तक)
3. मासिक शिक्षा शुल्क (Tuition Fee)	(संस्कृत छात्रों के लिए छूट)
(ख) महाविद्यालयीय वार्षिक निधि (फण्डज़)	
1. पुस्तकालय रक्षाधन (प्रत्यावर्तनीय)	100 रु.
2. गृह परीक्षा शुल्क	50 रु.
3. चिकित्सा शुल्क	06 रु.
4. परिसर विकास एवं सौन्दर्यीकरण निधि	10 रु.
5. पुस्तक बदलाव शुल्क	25 रु.
6. फर्नीचर मरम्मत शुल्क	20 रु.
7. परिचय पत्र शुल्क	15 रु.
8. वार्षिक पत्रिका शुल्क	50 रु.
9. उत्सव निधि	20 रु.
10. छात्र सहायता शुल्क	02 रु.
11. सांस्कृतिक गतिविधियाँ शुल्क	20 रु.
12. कम्प्यूटर तथा इन्टरनेट सुविधा शुल्क	20 रु.
13. छात्र कल्याण शुल्क	10 रु.
14. रैड क्रास शुल्क	40 रु.
15. केन्द्रीय छात्र परिषद् शुल्क	50 रु.
(ग) महाविद्यालयीय मासिक निधि (फण्डज़)	
1. मिश्रित निधि (Amalgamated Fund)	25 X 12 = 300 / - वार्षिक
2. क्रीड़ा शुल्क	20 X 12 = 240 / - वार्षिक
3. भवन निधि	10 X 12 = 120 / - वार्षिक

	4.	रोवर एण्ड रेंजर शुल्क	5X12=60 / - वार्षिक
	5.	प्राध्यापक - अभिभावक संघ (PTA) निधि	1500 / - वार्षिक (PTA) द्वारा निर्धारित
(घ)		विश्वविद्यालयीय शुल्क	
	1.	विश्वविद्यालय पञ्जीकरण शुल्क (Registration Fee) (केवल नए छात्रों से)	220 रु.
	2.	विश्वविद्यालय निरन्तरीकरण शुल्क (Continuation Fee) (केवल पुराने छात्रों से)	10 रु.
	3.	विश्वविद्यालय विकास निधि	200 रु.
	4.	वार्षिक परीक्षा शुल्क प्राक् शास्त्री - I, प्राक् शास्त्री - II के छात्रों से Rusa-शास्त्री - I समै. से शास्त्री - VI समै. के छात्रों को (परीक्षा फार्म भरने के समय स्वयं चालान द्वारा बैंक में जमा करने होंगे।)	400 रु. 400 रु.
	5.	विवरणिका शुल्क	100 रु.
(ङ)		छात्र द्वारा प्रवेश के समय कुल देय राशि	
	1.	प्राक् शास्त्री - I	3603 रु.
	2.	प्राक् शास्त्री - II	3183 रु.
	3.	शास्त्री प्रथम वर्ष रूसा प्रक्रिया में (पुराने छात्रों से) (नए छात्रों से)	2883 रु. 3203 रु.
	4.	शास्त्री द्वितीय / तृतीय वर्ष रूसा प्रक्रिया में (पुराने छात्रों से)	2883 रु.

छात्रावास शुल्क विवरण

1.	कक्ष शुल्क 30 / - मासिक 30 X 12	360 रु. वार्षिक
2.	छात्रावास प्रवेश शुल्क	10 रु. वार्षिक
3.	छात्रावास रक्षाधन (प्रत्यावर्तनीय)	500 रु. वार्षिक
4.	फर्नीचर रक्षाधन	100 रु. वार्षिक
5.	अटैण्डेण्ट / कर्मचारी शुल्क (25 रु. मासिक)	300 रु. वार्षिक
6.	कॉमन रूम शुल्क (10 रु. मासिक)	120 रु. वार्षिक
7.	पानी व्यवस्था शुल्क (25 रु. मासिक)	120 रु. वार्षिक
8.	विद्युत व्यय शुल्क (30 रु. मासिक)	1800 रु. वार्षिक
9.	सफाई कर्मचारी व्यय (15 रु. मासिक)	180 रु. वार्षिक
10.	छात्रावास भवन रख - रखाव व्यय	1000 रु. वार्षिक
11.	छात्रावासीय परिचय पत्र	10 रु. वार्षिक
12.	लिपिकीय सहायता शुल्क (5 रु. मासिक)	60 रु. वार्षिक
13.	बर्तन निधि	30 रु. वार्षिक
14.	टूट - फूट Depreciation Charges	100 रु. वार्षिक

योग (नए छात्रों से) = 5190 रु. वार्षिक (पुराने छात्रों से) = 4690 रु. वार्षिक

किसी भी व्यवस्थागत नियम के उल्लंघन पर छात्रावासाध्यक्ष की अनुशंसा से किसी भी प्रकार के आर्थिक दण्ड निलम्बन अथवा निष्कासन का विशेषाधिकार प्राचार्या महोदया को होगा।

पाठ्यक्रम तथा विषय चयन

शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण स्नातकों को आधुनिक विषयों के ज्ञान के साथ-साथ HAS/IAS जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के योग्य बनाने, संस्कृत अध्यापक/प्राध्यापकों के अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में सेवा तथा रोजगार का पात्र बनाने के उद्देश्य से प्रचलित शास्त्री/विशिष्ट शास्त्री के अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा 'नवीन अध्ययन प्रक्रिया' रूसा (राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान) के अन्तर्गत शास्त्री - I से VI समैस्टर तक एक बहुआयामी नवीन पाठ्यक्रम लागू किया गया है, जिसके अन्तर्गत महाविद्यालय में शास्त्री कक्षा के पंचम एवं षष्ठ सत्र का पाठ्यक्रम चल रहा है, जोकि आधुनिक परिप्रेक्ष्य में छात्रों के उज्ज्वल भविष्य का आधार बनेगा।

- (1) प्राक् शास्त्री भाग - I तथा प्राक् शास्त्री - II (पुरातन प्रक्रिया के अनुसार) की कक्षाओं में निम्न विषय निर्धारित हैं -
 - (क) एक से चार पत्र - संस्कृत के विभिन्न विषय (अनिवार्य)
 - (ख) पञ्चम पत्र - अंग्रेजी (ऐच्छिक)
 - (ग) षष्ठ पत्र - हिन्दी/राजनीति शास्त्र/इतिहास (अतिरिक्त ऐच्छिक)
- (2) प्राक् शास्त्री भाग - I तथा प्राक् शास्त्री - II कक्षाओं में 20 अंक आन्तरिक मूल्यांकन तथा 80 अंक वार्षिक परीक्षा के होंगे। इन कक्षाओं के संस्कृतेतर विषयों का पाठ्यक्रम हि.प्र. स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10 + 1, 10 + 2 के समान होगा। इनमें प्रविष्ट छात्र को सामान्यतः उत्तीर्ण होना आवश्यक है, लेकिन छात्रों का उत्तीर्ण - अनुत्तीर्ण तथा कम्पार्टमेंट् परिणाम केवल संस्कृत विषयों के आधार पर ही होगा। अग्रिम कक्षा के परिणाम से पूर्व छात्र को पिछली कक्षा के संस्कृतेतर विषयों में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।
- (3) प्राक् शास्त्री - I/प्राक् शास्त्री - II में परीक्षा का माध्यम हिन्दी/संस्कृत दानों में से एक हो सकता है लेकिन शास्त्री - I, से VI समैस्टर तक तथा आचार्य कक्षाओं में परीक्षा/प्रश्न पत्रों का माध्यम संस्कृत ही होगा।

पाठ्यक्रम

शास्त्री तक की कक्षाओं में संस्कृत के अनिवार्य पत्रों में निम्न विषय पढ़ाये जाते हैं -

प्राक् शास्त्री प्रथम वर्ष :

प्रथम पत्र : 1. लघु सिद्धान्त कौमुदी (वरदराजकृत) पूर्वाब्द्ध

द्वितीय पत्र : 1. रघुवंश (1, 2 सर्ग) कालिदासकृत - महाकाव्य

2. स्वप्नवासवदत्तम् (भासकृत) - नाटक

3. वृत्तरत्नाकर

तृतीय पत्र : 1. हितोपदेश (मित्रलाभ)

2. अनुवाद चन्द्रिका

3. अमरकोष (द्वितीय काण्ड)

चतुर्थ पत्र : 1. तर्क संग्रह

2. ईशावास्योपनिषद्

3. गीता (1-2 अध्याय)

संस्कृतेतर विषयों अंग्रेजी, हिन्दी, राजनीति शास्त्र तथा इतिहास का पाठ्यक्रम हि.प्र. स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10 + 1 की कक्षा की तरह होगा।

प्राक् शास्त्री द्वितीय वर्ष :

प्रथम पत्र : 1. लघु सिद्धान्त कौमुदी (वरदराजकृत) उत्तरार्द्ध

द्वितीय पत्र : 1. कुमार सम्भव (प्रथम - द्वितीय सर्ग) कालिदास कृत - महाकाव्य

2. भारत विजय नाटकम् (महामहोपाध्याय मथुरा प्रसाद दीक्षितकृत)

3. काव्यदीपिका

- तृतीय पत्र : 1. अनुवादचन्द्रिका
2. संस्कृत गद्य मन्दाकिनी
- चतुर्थ पत्र : 1. गीता (3, 11, 12, 14 अध्याय)
2. कठोपनिषद्
3. संस्कृत साहित्य परिचय
- संस्कृतेतर विषयों का पाठ्यक्रम हि.प्र. स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10 + 2 कक्षा की तरह होगा।

शास्त्री प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष

शास्त्री प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष के विद्यार्थी सम्बन्धित पाठ्यक्रम महाविद्यालय की वेबसाइट www.gscsundernagar.org से प्राप्त किया जा सकता है। व्याकरण एवं साहित्य अनिवार्य विषय के रूप में तथा दर्शन, वेद, ज्योतिष एवं धर्मशास्त्र में से किन्हीं दो विषयों का चयन करना होगा।

वार्षिक परीक्षा एवम् अनिवार्य गृह परीक्षा

1. प्राक् शास्त्री - I से प्राक् शास्त्री - II तथा आचार्य की सभी वार्षिक परीक्षाओं तथा रूसा की End Semester Examination का संचालन विश्वविद्यालय द्वारा ही होता है। वार्षिक परीक्षाओं हेतु परीक्षा फार्म फरवरी प्रथम सप्ताह में तथा समैस्टर परीक्षाओं के फार्म विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथियों में Online सिस्टम से भरे जाते हैं।
2. प्रत्येक परीक्षा के फार्म भरने हेतु (समैस्टर/वार्षिक प्रक्रिया) की कक्षा में कुल उपस्थितियों का 75 प्रतिशत होना आवश्यक है। ऐसा न होने की स्थिति में उसका फार्म अन्तिम परीक्षा हेतु नहीं भेजा जा सकेगा।
3. वार्षिक प्रक्रिया में किसी भी कक्षा में कम्पार्टमेंट छात्र अक्टूबर मास में अनुपूरक (सप्लिमेंटरी) परीक्षा में बैठ सकता है। कम्पार्टमेंट के साथ अंग्रेजी आदि अतिरिक्त (अनुत्तीर्ण) विषयों की परीक्षा भी दी जा सकती है।
4. प्राक् शास्त्री - I तथा शास्त्री - I में नए प्रविष्ट छात्रों को विश्वविद्यालय में पञ्जीकरण (रजिस्ट्रेशन) करवाना आवश्यक है। इन सभी छात्रों के प्रवेश के समय मैट्रिक / 10 + 2 संस्कृत सहित उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
5. किसी भी बाहरी बोर्ड/विश्वविद्यालय की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रवेश लेने वाले छात्र को उक्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से माईग्रेशन प्रमाण पत्र लाकर देना आवश्यक है तभी हि.प्र. विश्वविद्यालय में उसका पञ्जीकरण होगा। पञ्जीकरण होने पर ही उसका प्रवेश स्थायी होगा।
6. महाविद्यालय में प्रविष्ट छात्र को समय-समय पर साप्ताहिक / मासिक / आवश्यक गृह परीक्षाओं में भाग लेना आवश्यक है। उसी के आधार पर उसकी अन्तः मूल्यांकन (Internal Assessment) भेजी जा सकेगी। जो वार्षिक परीक्षाओं में 20 अंक तथा समैस्टर प्रक्रिया में 30 अंक प्रति विषय होगी। इन परीक्षाओं में अनुपस्थित छात्र तथा एसैसमेंट में अनुत्तीर्ण छात्र वार्षिक परीक्षा में बैठने के अधिकारी नहीं होंगे।
7. प्रत्येक कक्षा में सर्वाधिक उपस्थिति वाले छात्र को वार्षिकोत्सव में विशेष रूप से पुरस्कृत किया जाएगा।



केन्द्रीय छात्र परिषद्

महाविद्यालयीय केन्द्रीय छात्र परिषद् (CSCA) "संस्कृत-संस्कृति छात्र कल्याण परिषद्" (शारदा छात्र संघ) का गठन विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार सत्र के प्रारम्भ में निर्धारित तिथि को किया जाता है। छात्रों में नेतृत्व क्षमता को विकसित करने, कलात्मक प्रतिभा विकास, शारीरिक सौष्ठव, बौद्धिक-मानसिक-चारित्रिक विकास तथा छात्र-कल्याण के उन्नयन हेतु इस छात्र परिषद् का गठन किया जाता है। इसके तत्त्वावधान में पाक्षिक/मासिक छात्र संगोष्ठियाँ, वार्षिक क्रीड़ा तथा सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिनमें समस्त छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। विश्वविद्यालय की अधिसूचना के पश्चात् ही चुनाव/सर्वसम्मति से केन्द्रीय छात्र परिषद् (CSCA) का गठन होगा।

प्राध्यापक अभिभावक संघ (PTA)

महाविद्यालयीय प्राध्यापकों तथा छात्रों के अभिभावकों (माता-पिता) के सामूहिक संगठन 'प्राध्यापक अभिभावक संघ' (PTA) का गठन प्रतिवर्ष छात्रों के प्रवेश के तुरन्त पश्चात् किया जाता है जो निरन्तर सहयोग के साथ-साथ महाविद्यालय में प्राध्यापकों की कमी को भी पूरा करता रहा है ताकि छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो सके। प्रवेश के तत्काल पश्चात् इसका गठन करके महाविद्यालय/छात्र हित में इसके सहयोग की अपेक्षा रहेगी।



पाठ्येतर गतिविधियाँ, क्रीड़ा तथा सांस्कृतिक प्रतियोगिताएँ

1. छात्रों में पारस्परिक सद्भाव के साथ-साथ प्रतिस्पर्धात्मक भावना को सुदृढ़ करने तथा विभिन्न कार्यक्रमों, सामाजिक, वैयक्तिक तथा चारित्रिक विकास की दृष्टि से समस्त छात्रवृन्द को पाणिनि, पतञ्जलि, कालिदास और व्यास सदनो में विभाजित करके विभिन्न क्रीड़ा तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में सकारात्मक रूप से जोड़ा जाता है। सदनानुसार क्रीड़ा प्रतियोगिताएँ अक्टूबर तथा भाषणादि सांस्कृतिक प्रतियोगिताएँ नवम्बर मास में आयोजित की जाएंगी।
2. विश्वविद्यालय द्वारा आयोज्य अन्तः महाविद्यालयीय क्रीड़ा तथा सांस्कृतिक प्रतियोगिताएँ उनके द्वारा निर्दिष्ट तिथियों में आयोजित होंगी।
3. अन्य महाविद्यालयों/संस्कृत महाविद्यालयों/राज्यों में आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में पात्र छात्रों को भाग ग्रहणार्थ प्रेषित किया जाता है।
4. क्रीड़ा गतिविधियों में वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिन्टन, क्रिकेट, एथलैटिक्स आदि की समुचित व्यवस्था विद्यमान है। प्रतिभाशाली छात्रों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा आयोज्य क्रीड़ा तथा सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने की व्यवस्था है।
5. सभी प्रथम/द्वितीय आने वाले छात्रों को वार्षिकोत्सव में पुरस्कृत किया जाता है।



पुरस्कार वितरण समारोह

महाविद्यालय का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह मार्च मास के तृतीय सप्ताह में आयोजित किया जाता है जिसमें निम्न छात्रों को पुरस्कृत किया जाता है: -

1. विश्वविद्यालय की मैरिट में स्थान पाने वाले छात्र ।
2. वार्षिक परीक्षा एवम् अनिवार्य गृह परीक्षा में प्रथम - द्वितीय आने वाले छात्र ।
3. महाविद्यालय की वार्षिक सदनानुसार वॉलीबॉल आदि क्रीड़ा तथा सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय स्थान पाने वाले तथा सर्वोत्तम क्रीड़क का स्थान पाने वाले छात्र ।
4. विश्वविद्यालय द्वारा आयोज्य तथा अन्तर्राज्यीय क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में स्थान पाने वाले छात्र
5. प्रत्येक कक्षा में सर्वाधिक उपस्थिति तथा सर्वोत्तम अनुशासित छात्र ।
6. महाविद्यालयीय पत्रिका, सामाजिक कार्य, स्वच्छता, रक्तदान, वन महोत्सव आदि कार्यों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले छात्र तथा स्काऊट गाईड छात्र - छात्राएँ।
7. विभिन्न महाविद्यालयीय कार्यों में सर्वोत्तम सहयोग/कार्य करने वाले छात्र ।
8. पुस्तकालय का अधिकतम उपयोग करने वाले छात्र ।
9. शास्त्री अन्तिम वर्ष के सर्वतोभावेन - सर्वोत्तम छात्र - छात्रा ।
10. वर्ष भर में सत्य - निष्ठा, ईमानदारी, समर्पण से छात्रहित/महाविद्यालय हित में काम करने वाले प्राध्यापक एवं कर्मचारी।
11. सर्वोत्तम परिणाम देने वाले प्राध्यापक ।
12. विशिष्ट संस्कृत विद्वान् तथा अतिथि ।
13. सर्वश्रेष्ठ छात्र को "स्वर्णपदक" कर्नल बी.एस.आर. राघव जी के द्वारा प्रदान किया जाता है।




महाविद्यालयीय अनुशासन तथा तत्सम्बन्धी नियम

1. महाविद्यालय में किसी भी कालांश (पीरियड) में लगातार 10 दिन अनुपस्थित रहने वाले छात्र का नाम महाविद्यालय से काट दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में पिता-माता की व्यक्तिगत उपस्थिति तथा 100/- पुनः प्रवेश शुल्क तथा दूसरी बार 200/- के साथ अतिरिक्त विशेष दण्ड के साथ ही पुनः प्रवेश मिल सकेगा।
2. महाविद्यालय/छात्रावास परिसर में मदिरा आदि मादक पदार्थों का सेवन या अपने पास रखना दण्डनीय अपराध होगा। ऐसे छात्र को तत्काल निष्कासित करके अग्रिम कार्यवाही हेतु उसके घर तथा पुलिस को सूचित कर दिया जाएगा।
3. कक्षा तथा महाविद्यालय परिवेश में मोबाइल लाना/रखना/करना/सुनना अनुशासनहीनता माना जाएगा। मोबाइल जब्त होने पर अर्थदण्ड सहित कार्यवाही की जाएगी।
4. नाम कटने/अनपेक्षित गतिविधि/गृह - वार्षिक परीक्षाओं की रिपोर्ट माता - पिता को समयानुसार प्रेषित की जाएगी।



पुस्तकालय सम्बन्धी नियम

1. महाविद्यालय का अपना दुर्लभ/सन्दर्भ ग्रन्थों से सुसज्जित लगभग - 12000 पुस्तकों वाला विशाल पुस्तकालय प्राच्य विद्याओं के अध्येताओं तथा शोधकर्ताओं के लिए तीर्थ स्थल स्वरूप है।
2. ग्रन्थालय में केवल पंजीकृत सदस्य का प्रवेश ही मान्य है।
3. पुस्तकालय में प्रवेश करते समय द्वार पर रखे रजिस्टर की प्रविष्टियों को पूर्ण करके तथा अपना झोला, छाता, पुस्तकें, मुद्रित सामग्री आदि यथा स्थान रखकर ही पुस्तकालय में प्रवेश करें। द्वार पर बैठे कर्मचारियों को अपना प्रवेश-पत्र दिखाना अनिवार्य है। बिना प्रवेश-पत्र दिखाये पुस्तकालय में प्रवेश वर्जित है।
4. ग्रन्थालय में व्यक्तिगत सामग्री तथा मुद्रित पुस्तकें, सी0 डी0, डी0 वी0 डी, लैप टॉप, झोला, छाता आदि लेकर प्रवेश वर्जित है। उपर्युक्त सामग्री को यथास्थान रख कर ही प्रवेश करें। बहुमूल्य वस्तुएँ, रुपया-पैसा, आभूषण आदि गेट पर न रखें, उसे अपने पास ही रखें। ऐसी वस्तुओं के रखने पर यदि वे गायब हो जायें, तो पुस्तकालय प्रशासन उसका उत्तरदायी नहीं होगा।
5. विद्यार्थी को निर्धारित अवधि तक के लिए ही पुस्तक दी जाती है। यदि पुस्तक निर्धारित अवधि तक नहीं लौटाई गई तो पुस्तक पर 01 रुपये प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देना होगा।
6. छात्र को एक ही पुस्तक की दो प्रतियाँ निर्गत नहीं की जाएंगी। बिना परिचय-पत्र दिखाये पुस्तक निर्गत (Issue) नहीं की जायेगी।
7. पुस्तकालय की सन्दर्भ पुस्तकें, कोश तथा बहुमूल्य पुस्तकें निर्गत (Issue) नहीं की जाएंगी।
8. पुस्तकालय की पुस्तक खो जाने अथवा खराब हो जाने की स्थिति में पुस्तक लेने वाले छात्र को वैसी ही पुस्तक लेकर देनी होगी अथवा पुस्तकालय के नियमानुसार उस पुस्तक का पांच गुना मूल्य चुकाना होगा। छात्र को पुस्तक भली भाँति देखकर लेनी चाहिए एवं पुस्तक में दोष पाये जाने पर पुस्तकालयाध्यक्ष को सूचित कर के सम्बन्धित कर्मचारी से हस्ताक्षर करवा लेने चाहिए। पुस्तक लौटाते समय उसमें पाये जाने वाले दोष का उत्तरदायित्व छात्र का ही होगा।
9. पुस्तकालय की पुस्तकों पर पेन या पेन्सिल आदि से चिह्न बनाना, नाम लिखना अथवा पन्ने फाड़ना वर्जित है।
10. पुस्तकालय से चोरी - छिपे पुस्तकों/पत्र-पत्रिकाओं को बाहर ले जाने अथवा पृष्ठों को फाड़ने की स्थिति में पकड़े जाने पर सम्बन्धित छात्र की पुस्तकालय सदस्यता तत्काल समाप्त करके पुस्तकालय में प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया जायेगा तथा सुरक्षित धन जब्त करके अग्रिम अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु भेज दिया जायेगा, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन भी अन्तर्निहित है।
11. वार्षिक/सत्रीय परीक्षा से पूर्व सभी पुस्तकें और पुस्तकालय परिचय-पत्र वापस करना अनिवार्य है, अन्यथा परीक्षा-प्रवेश-पत्र प्राप्ति के लिए अदेयता (No Dues) प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाएगा। पुस्तकालय सदस्यता पत्र खोने की स्थिति में दुबारा सदस्यता पत्र बनाने हेतु एक कार्ड के लिये 40 रुपये जमा करावने होंगे।



12. पुस्तकालय सदस्यता पत्र अहस्तान्तरणीय है। पुस्तकालय द्वारा दिये गये पुस्तकालय सदस्यता पत्र का केवल छात्र ही प्रयोग कर सकता है। कोई भी छात्र किसी अन्य छात्र के सदस्यता पत्र पर पुस्तकें नहीं ले सकता है। ऐसा करने पर सम्बन्धित छात्र की पुस्तकालय सदस्यता समाप्त की जा सकती है।
13. पुस्तकालय में शान्तिपूर्वक बैठना एवं अध्ययन करना अपेक्षित है। किसी भी तरह का शोर-गुल, उच्च स्वर में बात-चीत तथा मोबाइल फोन का प्रयोग भी वर्जित है।
14. छात्र पुस्तकालय की पत्रिकाएँ/पुस्तकें/समाचार पत्र पढ़कर यथास्थान रखें, बिना स्वीकृति के किसी भी पुस्तक अथवा पत्र-पत्रिका को पुस्तकालय से बाहर ले जाना वर्जित है। पत्रिकाएँ/पुस्तकें/समाचार पत्र वाचन कक्ष में पढ़ने के लिए अपना परिचय-पत्र देकर पुस्तकालयाध्यक्ष की अनुमति से ही प्राप्त कर सकते हैं।
15. पुस्तकालय के नियमों का पालन न करने की स्थिति में किसी भी छात्र की सदस्यता समाप्त करने का अधिकार पुस्तकालयाध्यक्ष को है।
16. यदि आवश्यक हो तो पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तकों को समय से पहले भी लौटाने का आदेश दे सकता है।
17. पुस्तकालयाध्यक्ष की संस्तुति से प्राचार्य की स्वीकृति के बाद अन्य विश्वविद्यालयों के शोध-छात्र एवं अन्य अध्ययनकर्ता भी पुस्तकालय की विशेष सदस्यता, ₹ 1000/- तथा ₹ 500/- (विशेष सदस्यता तथा वार्षिक अध्ययन शुल्क) जमा कर के प्राप्त कर सकते हैं।
18. पुस्तकालय समिति की संस्तुति पर प्राचार्य के द्वारा पुस्तकालय सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है।

छात्रावास तथा तत्सम्बन्धी नियम

1. महाविद्यालय छात्रावास में 56 छात्राओं तथा 20 छात्रों के रहने की व्यवस्था है जिनमें मेधावी, दूर से आने वाले, निर्धन छात्रों तथा जनजाति छात्राओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्वापर क्रम से स्थान दिया जाता है। जिनमें आवास के अतिरिक्त बिजली/पानी/सफाई आदि की व्यवस्था का व्यय निर्धारित शुल्क के रूप में प्रवेश के समय देय होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने छात्रावास समिति का गठन किया है।
2. भोजन व्यवस्था छात्र/छात्राओं को अन्तः/बाह्य रूप में स्वयं करनी होगी।
3. छात्रावास परिषद् छात्रावासाध्यक्ष को सभी व्यवस्थाओं के सञ्चालन में सहयोग करेगी।
4. मादक/अभक्ष्य पदार्थों का सेवन तथा अपने पास रखना सर्वथा वर्जित होगा। दोषी छात्र/छात्रा को तत्काल निष्कासित/दण्डित किया जाएगा।
5. किसी भी बाह्य व्यक्ति महिला/पुरुष को कमरे में लाना/रखना वर्जित है। केवल माता-पिता छात्रावासाध्यक्ष की अनुमति से दिन में ही मिल सकते हैं।
6. किसी अन्तः/बाह्य छात्र/छात्रा की रैगिंग करने तथा अन्य अनैतिक आचरण में लिप्त/दोषी छात्र-छात्रा को तत्काल निष्कासित करके कानूनी कार्यवाही हेतु मामला प्रेषित किया जाएगा।
7. छात्रावास से बाहर जाने हेतु छात्रावासाध्यक्ष की अनुमति तथा पूरे दिन/दिनों के लिए लिखित अनुमति/अवकाश लेना आवश्यक होगा। बिना अनुमति के बाहर गये/गई छात्र/छात्रा को दण्डित अथवा निष्कासित किया जा सकता है।
8. शरद् ऋतु में सायं 7 बजे के पश्चात् तथा ग्रीष्म ऋतु में 8 बजे के पश्चात् छात्रावास के बाहर जाना/रहना दण्डनीय अपराध माना जाएगा।
9. छात्रावासीय प्रार्थना सभा में सभी छात्र/छात्राओं की उपस्थिति अनिवार्य होगी। अनुपस्थित छात्र दण्डनीय होंगे तथा सर्वाधिक उपस्थिति वाले सर्वोत्तम अनुशासित छात्र/छात्रा को वार्षिकोत्सव में पुरस्कृत किया जाएगा।
10. छात्रावास में हर वर्ष नया प्रवेश दिया जाता है तथा सत्रान्त में वार्षिक परीक्षा के पश्चात् छात्रावास छोड़ना होगा।



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों का सारांश उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की बुराई के खिलाफ, 2009

1. प्रस्तावना : माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के मद्देनजर दिनांक 8-5-2009 और केन्द्र के निर्धारण के विचार में सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रतिबन्धित करने के लिए, रोकने और रैगिंग का संकट खत्म करने के निर्देश जारी किये गए हैं।

2. उद्देश्य : विश्वविद्यालयों से अपने सभी रूपों में रैगिंग खत्म करने, देश में जितने भी विश्वविद्यालय और अन्य उच्च शिक्षण संस्थान हैं, उन्हें इन विनियमों के तहत रैगिंग की हर तरह की, घटनाओं को रोकने का जोर लगाना होगा और जो रैगिंग में भाग लेगा उसे रैगिंग के विनियमों के अनुसार दण्डित किया जायेगा।
3. किन कृत्यों को रैगिंग का दर्जा दिया जा सकता है : रैगिंग किसी भी निम्नलिखित कृत्यों में से, एक या एक से अधिक का गठन है, निम्नलिखित कृत्यों में से, एक या एक से अधिक का गठन है :-
 1. कोई भी आचरण किसी भी छात्र या छात्रों द्वारा, चाहे शब्दों द्वारा बोली जाने वाली या लिखित या जिससे चिढ़ाने, अशिष्टता या कोई गलत हरकत का प्रभाव पड़ता हो, चाहे फिर वो कोई नया छात्र हो या पुराना, रैगिंग ही माना जायेगा।
 2. कोई भी नया छात्र पुराने छात्र या छात्रों द्वारा उपद्रवी या अनुशासनहीन गतिविधियों का शिकार बनता है या उनकी किसी भी हरकत से झुंझलाहट, कठिनाई, शारीरिक परेशानी या मनोवैज्ञानिक नुकसान, भय या आशंका तत्सम्बन्धी पैदा होने की संभावना हो तो इन हरकतों को रैगिंग का दर्जा दिया जा सकता है।
 3. किसी भी छात्र को कोई भी ऐसा कार्य करने को कहना जिससे उसे पीड़ा या शर्मिन्दगी की भावना का सामना करना पड़े, या छात्र की मानसिकता पर प्रतिकूल असर हो।
 4. एक वरिष्ठ छात्र द्वारा किसी भी नवसिखुआ छात्र या अन्य छात्र के नियमित शैक्षिक गतिविधि को बाधित, या परेशान करने वाला कार्य।
 5. एक व्यक्ति या छात्रों के समूह शैक्षिक कार्यों को पूरा करने के लिए किसी भी नवसिखुआ छात्र या अन्य छात्र की सेवाओं का शोषण।
 6. कोई भी ऐसी हरकत जो वरिष्ठ छात्रों द्वारा किसी भी नए छात्र या अन्य छात्रों पर जबरन वित्तीय वसूली या सशक्त स्वर्च बोज़ का कोई भी भार डाले।
 7. शारीरिक शोषण के सभी प्रकार : यौन शोषण का कोई भी अधिनियम, समलैंगिक हमले, अलग करना, अश्लील और भद्दा कृत्य, इशारों द्वारा मजबूर व्यक्ति को शारीरिक या स्वास्थ्य नुकसान या किसी अन्य खतरे का कारण।
 8. कोई भी हरकत, बोले गए शब्दों, ईमेल, पोस्ट, सार्वजनिक अपमान द्वारा अधिनियम के दुरुपयोग से विकृत खुशी पाना या कामुक रोमांच में सक्रिय या निष्क्रियता से किसी नए व पुराने छात्र की असहजता में भाग लेने से रोमांच मिलना।
 9. कोई भी कार्य जोकि एक नवसिखुआ या किसी भी अन्य छात्र के मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को प्रभावित करता है, कोई भी छात्र, किसी भी नवसिखुआ या किसी अन्य छात्र पर कामुकता प्राप्त करने के लिए खुशी, बंद शक्ति या श्रेष्ठता का अधिकार दिखा रहा हो।

मुझे कहाँ से मदद मिल सकती है?

1. हम नहीं चाहते कि आपको लगे कि आप अकेले हैं और आपकी कोई भी मदद नहीं करना चाहता। हम सब आप के साथ हैं।
2. आपके माता - पिता आपकी मदद करने के लिए हैं। कृपया ऐसा मत सोचिये कि आप अपने माता - पिता पर बोझ हैं। अगर आपकी रैगिंग हो रही है तो उनसे स्वतंत्र रूप से खुलकर बात करो, वह आपकी बात जरूर समझेंगे।
3. हम रैगिंग की रोकथाम के कार्यक्रम में आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आप हमें कभी भी समय 1800 180 5522 नम्बर पर फोन कर सकते हैं। यह एक निःशुल्क फोन है। आप हमें helpline@antiragging.in पर एक ई - मेल भी भेज सकते हैं।
4. आपका कॉलेज प्रशासन आपकी मदद करने के लिए है - कृपया मदद के लिए पूछने में संकोच नहीं करें। निश्चित रूप से आपको मदद मिलेगी। स्थानीय पुलिस और स्थानीय प्रशासन भी आपकी मदद करने के लिए हैं।
5. कोई भी किसी भी रैगिंग की घटना की शिकायत कर सकता है। यह जरूरी नहीं है कि केवल शिकार ही शिकायत कर सकता है। अगर आप कोई भी रैगिंग की घटना देखें तो उसकी सूचना कॉल सेंटर को करें। ऐसा करना आपका कर्तव्य है।
6. आप भी रैगिंग की शिकायत रजिस्टर कर सकते हैं - बिना नाम बताए। आपको इस विकल्प से बचना चाहिए क्योंकि विवरण जाने बिना हमें किसी भी तरह की कार्रवाई करने में मुश्किल हो जाती है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका विवरण गोपनीय रखा जायेगा।
7. अपनी शिकायत की जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं एंटी रैगिंग पोर्टल: www.antiragging.in और www.amanmovement.org पर भी जा सकते हैं। साथ ही यह ध्यातव्य है कि उपर्युक्त दोनों लिंक हमारे महाविद्यालय की वेबसाइट www.gscsundernagar.org पर उपलब्ध हैं। कोई भी छात्र/छात्रा विद्यालय के ई-मेल पते पर भी अपनी शिकायत भेज सकता/सकती है।





Contact Details

Govt. Sanskrit College, Sunder Nagar, Distt. Mandi (H.P.)-175019

Phone : 01907-262510

E-mail : gscsundernagarhp@gmail.com | Website : www.gscsundernagar.org